न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2017/2944

नन्नी बाई पुत्री जगना लोधी पति श्री परमलाल लोधी
निवासी – ग्राम वन्न पोस्ट भंगवा तहसील बड़ामलहरा जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– खडिया तनय जगना लोधी
निवासी – ग्राम वन्न (वरेला) तहसील बडामलहरा जिला –छतरपुर (म.प्र.)

2-- गौरी पुत्री श्री जगना लोधी पति श्री नौने लोधी
निवासी – ग्राम वन्न पोस्ट भंगवा तहसील बड़ामलहरा जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडामलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, आराजी खसरा नं. 48 रकवा 1.923, 158 रकवा 0.947, 160 रकवा 0.320, 461 रकवा 0.372, 511 रकवा 0.971, 513 रकवा 0.445, 574 रकवा 0.336 कुल किता 7 कुल रकवा 5.314 है0 ग्राम बन्न तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर में स्थित है उक्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता जगना के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है।

2. यहकि, आवेदिका के पिता जगना की मुत्यु हो गयी है, जगना की मुत्यु के पश्चात् नामान्तरण पंजी क्रमांक 37 पर आदेश दिनांक 08.09.1975 द्वारा जगना के फौत हो जाने के पश्चात् आवेदिका का नाम छोडते हुये उक्त फौती नामान्तरण कर दिया गया।

3. यहकि, नामान्तरण पंजी क्रमांक 37 पारित आदेश 08.09.1975 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 2 गौरी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी विजावर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो प्रकरण क्रमांक 175/07--08 पर पंजीबद्ध की जाकर आदेश दिनांक 21.09.2010 से यह आदेश पारित किया गया कि पटवारी ने मनमाने तरीके से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टी दर्ज की है, जिसके लिये दोषी है प्रविष्टी का कोई वैधानिक आधार नहीं है अतः अपील स्वीकार करते हुये वादग्रस्त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/2944

नन्नदी बाई विरूद्ध खडिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—2—2019	आवेदक की ओर से श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 52/अपील/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 27—7—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 20/02/19	